सहायक कलक्टर ... जिला जयपुर

2020/00195

फर्द अहकाम

मथुरा देवी बनाम हीरा

...ालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

...द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 109/20

...नांक आज्ञा ...ा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7.12.21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प माधोगढ़ में पेश हुई। पक्षकारों को कैम्प माधोगढ़ के बाबत नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित। वादिया कावजूद सूचना अनुपस्थित है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रेजात पर सुना गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनने के पश्चात तहसीलदार बस्सी/तुंगा से प्राप्त कुर्रेजात व नक्शे अनुसार वादिया को बाद अंतिम डिक्री किया गया। विस्तृत निर्णय उक्त जनवाती प्रकरण का अलग वाद हीरा बनाम मथुरा मु.नं. 2/20 के साथ अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. छीतर
2. प्रभू पुत्रान बिदामा
जाति मीणा निवासी ग्राम अणतपुरा छोलका की ढाणी तह. बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम अणतपुरा छोलका की ढाणी तह. बस्सी जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार तूंगा, उप तहसील तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर

मु0न0 02/20

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी

1. मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद उर्फ महादेव
जाति मीणा निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ढाणी छोलका की पोस्ट तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. छीतर पुत्र बिदामा
2. प्रभु पुत्र बिदामा
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ढाणी छोलका की पोस्ट तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
3. उपपंजियक उप तहसील तूंगा तह बस्सी जिला जयपुर।
4. नायब तहसीलदार तूंगा, उप तहसील तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
5. तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 109/20

पत्रावलियां आज प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प अणतपुरा में पेश हुई । राजस्व वाद उनवान छीतर बनाम मथुरा मु.नं. 02/20 व राजस्व वाद उनवान मथुरा बनाम छीतर मु.न. 109/20 में वादग्रस्त भूमि पक्षकार व चाही गई रिलीफ समान होने से दोनों वादों का एक साथ निर्णय किया गया है। वादी के वाद का संक्षिप्तसार इस प्रकार है। वादी ने दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर वादग्रस्त भूमि खसरा न. 279, 281, 282, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 320 कुल किता 11 कुल रकबा 4.4762 हेक्टेयर वाके ग्राम अणतपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर का हिस्से अनुसार कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए विधिवत विभाजन किया जावें। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण के समयावधि मे बावजूद सूचना उपस्थित नही होन पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाकर वादी को साक्ष्य हेतु हिदायत दी । वादी ने साक्ष्य न पेश कर वाद को प्रारम्भिक डिक्री करने हेतु निवेदन किया जाने पर दिनांक 25.08.2020 को वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया। वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाने के बाद प्रतिवादिया की ओर से दिनांक 25.09.2020 प्रार्थना पत्र 09आर13 सीपीसी पश कर दिनांक 25.08.2020 को की गयी प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त करने हेतु पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बस्सी से ग्राम अणतपुरा की कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र 09आर13 सीपीसी के जवाब पेश करने पर वादी व प्रतिवादी की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस करने के पश्चात प्रतिवादिया का प्रार्थना पत्र 09आर13 सीपीसी स्वीकार कर दिनांक 25.08.2020 को जारी प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त कर जवाबदावा व साक्ष्य सबूत पेश करने की

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

प्रतिवादिया को हिदायत दी गयी। दिनांक 28.09.2020 को प्रतिवादिया ने नया वाद मथुरा बनाम छीतर के नाम से पेश कर ग्राम अणतपुरा की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 279, 281, 282, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 320 कुल किता 11 कुल रकबा 4.4762 हेक्टेयर वाके ग्राम अणतपुरा व ग्राम हिम्मतपुरा की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 90, 146, 152, 215 कुल किता 4 कुल रकबा 1.8462 हेक्टेयर के संबंध मे उक्त वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर पुख्ता निर्माण को ध्यान में रखते हुए विधिवत विभाजन किया जाने हेतु निवेदन किया। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी द्वारा जवाब पेश करने पर दोनों पक्षों की सहमति से ग्राम अणतपुरा व ग्राम हिम्मतपुरा की वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस पुख्ता निर्माण व कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन किये जाने के तहसीलदार बस्सी को आदेश दिये गये। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रेजात पर प्रतिवादिया मथुरा देवी के द्वारा आपत्ति पेश करने पर आपत्ति स्वीकार की जाकर पुनः वादग्रस्त भूमियों के तहसीलदार व नायब तहसीलदार तूंगा दोनों को मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन के नियम 18 से 21 आर.टी.एक्ट की पालना कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु निदेर्शित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बस्सी/तूंगा द्वारा वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादिया मथुरा देवी की मौजूदगी में ग्राम अणतपुरा व ग्राम हिम्मतपुरा के पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किये गये तहसीलदार तूंगा से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट का अवलोकन करने से ग्राम हिम्मतपुरा के विभाजन प्रस्ताव पर वादी सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादिया मथुरा देवी ने पूर्व में बने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की व ग्राम अणतपुरा के विभाजन प्रस्ताव पुनः उभय पक्षों की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बनाये गये है तथा प्रतिवादिया मथुरा देवी के द्वारा कुर्रेजात रिर्पोट पर सहमति जाहिर करने के बावजूद भी कुर्रेजात रिर्पोट पर हस्ताक्षर नहीं किये।

पत्रावली का अवलोकन एवं वादी सं. 1 व 2 को कुर्रेजात रिर्पोट पर सहमति जाहिर करने तथा तहसीलदार तूंगा द्वारा कुर्रेजात बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रतिवादिया द्वारा की गयी आपत्ति को दूर कर पुनः कुर्रेजात रिर्पोट प्राप्त होने पर उपस्थित मौतबिरान से जानकारी प्राप्त करने एवं लोक अदालत एवं न्याय हित को ध्यान में रखते हुए वादी का वाद तहसीलदार बस्सी/तूंगा से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 90, 146, 152, 215, कुल किता 4 कुल रकबा 7.06 बीघा अर्थात 1.8462 हेक्टेयर स्थित ग्राम हिम्मतपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर में से 146, 215, 152, 152/3 कुल किता 4 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र बदामा हि. 1/2 जाति मीणा सा. देह प्रभू पुत्र बदामा हि. 1/2 जाति मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 90, 215/1, 152/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 हेक्टेयर की भूमि खातेदार मथुरा देवी पत्नि महादेव जाति मीणा सा. देह राहिन स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा तूंगा जयपुर मूर्तहीन के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 152/1 रकबा 0.0162 हेक्टेयर की भूमि शामिलाती बदस्तुर जमाबंदी हिस्से में रहेगी।

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 279, 281, 282, 282/1 से 282/7, ख.नं. 320 कुल किता 11 कुल रकबा 4.4762 हेक्टेयर स्थित ग्राम अणतपुरा तह. तूंगा जिला जयपुर में से ख.नं. 279, 282/1, 282/9, 282/8, 282/12, 320/2 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4878 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र बिदामा जाति मीणा राहिन बीओआई शाखा तूंगा सा. छोलका की ढाणी अणतपुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 282, 282/2, 282/10, 282/6, 282/7, 320/3 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4879 हेक्टैयर की भूमि खातेदार प्रभू पुत्र बिदामा जाति मीणा राहिन बीओआई शाखा तूंगा सा. छोलका की ढाणी अणतपुरा के हिस्से में रहेगी। खसरा नं. 282/3, 282/4, 282/5, 282/11, 320/1 कुल किता 5 कुल रकबा

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

। 4870 हैक्टेयर की भूमि खातेदार मथुरा तैली पत्नि महावीर प्रसाद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] की ग्राम [illegible] के हिस्से में रहेगी। खसरा नं. 28 रकबा [illegible] हैक्टेयर की भूमि
शामिलाती खातेदारी अनुसार हिस्से में रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही
की जावे। तहसीलदार [illegible] को कुर्रेजात व नक्शे बाद अनुमोदन भेजे जावें। डिक्री पृथक जारी हो। निर्णय
व डिक्री की पालना हेतु तहसील जारी हो। निर्णय व डिक्री की एक एक प्रति राजस्व वाद [illegible] मथुरा
तैली बनाम [illegible] प्र.नं. 109/20 के साथ संलग्न की जावे। पत्रावलिया फैसला शुमार होकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 07.12.2021 को यह निर्णय [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] खुले
आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

[illegible]

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. छीतर
2. प्रभू पुत्रान बिदामा
जाति मीणा निवासी ग्राम अणतपुरा छोलका की ढाणी तह. बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम अणतपुरा छोलका की ढाणी तह. बस्सी जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार तूंगा, उप तहसील तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
3. तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर

<u>दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मु0न0 02/20

वादी

1. मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद उर्फ महादेव
जाति मीणा निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ढाणी छोलका की पोस्ट तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1 छीतर पुत्र बिदामा
2 प्रभु पुत्र बिदामा
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ढाणी छोलका की पोस्ट तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
3 उपपंजियक उप तहसील तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
4 नायब तहसीलदार तूंगा, उप तहसील तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
5 तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर

<u>दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मु0न0 109/20

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 90, 146, 152, 215, कुल किता 4 कुल रकबा 7.06 बीघा अर्थात 1.8462 हेक्टेयर स्थित ग्राम हिम्मतपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर में से 146, 215, 152, 152/3 कुल किता 4 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र बदामा हि. 1/2 जाति मीणा सा. देह प्रभू पुत्र बदामा हि. 1/2 जाति मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 90, 215/1, 152/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 हेक्टेयर की भूमि खातेदार मथुरा देवी पत्नि महादेव जाति मीणा सा. देह राहिन स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा तूंगा जयपुर मूर्तहीन के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 152/1 रकबा 0.0162 हेक्टेयर की भूमि शामिलाती बदस्तुर जमाबंदी हिस्से में रहेगी।

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 279, 281, 282, 282/1 से 282/7, ख.नं. 320 कुल किता 11 कुल रकबा 4.4762 हेक्टेयर स्थित ग्राम अणतपुरा तह. तूंगा जिला जयपुर में से ख.नं. 279, 282/1, 282/9, 282/8, 282/12, 320/2 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4878 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र बिदामा जाति मीणा राहिन बीओआई शाखा तूंगा सा. छोलका की ढाणी अणतपुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 282, 282/2, 282/10, 282/6, 282/7, 320/3 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4879 हेक्टैयर की भूमि खातेदार प्रभू पुत्र बिदामा जाति मीणा राहिन बीओआई शाखा तूंगा सा. छोलका की ढाणी अणतपुरा के हिस्से में रहेगी। खसरा नं. 282/3, 282/4, 282/5, 282/11, 320/1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4879 हेक्टेयर की भूमि खातेदार मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद मीणा राहिन एस.बी.आई. शाखा तूंगा सा. छोलका की ढाणी अणतपुरा के हिस्से मे रहेगी तथा ख.नं. 281 रकबा 0.0126 हेक्टेयर की भूमि शामिलाती जमाबंदी अनुसार हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। तहसीलदार तूंगा को कुरेंजात व नक्शे बाद अनुमोदन भेजे जावें। निर्णय व डिकी की एक-एक प्रति राजस्व वाद उनवान मथुरा देवी बनाम छीतर मु.नं. 109/20 के साथ संलग्न की जावे। ....निजी..................

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मुबलिक............ बाबत.......................... खर्चा इसमें मुकदमे का

मय सूद वगैरह.......... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाबी तक ....को अदा करें

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.12.2021 को जारी किया गया।

दस्तखत

मोहर

ओहदा.....................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर

बस्सी जिला जयपुर